सिगरेट और सिगरेट पैकिंग – *तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग अधिनियम 2011 (Tobacco Plain Packaging Act 2011)* के साथ अनुपालन

आम पूछे जाने वाले सवाल

संक्षिप्त विवरण

1 दिसंबर 2012 के बाद से उन सभी तम्बाकू उत्पादों को, जिनकी ऑस्ट्रेलिया में बिक्री की जाती है या जिन्हें बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है, या जिनकी अन्यथा ऑस्ट्रेलिया में आपूर्ति की जाती है, उन्हें प्लेन (सादी) पैकेजिंग में होना चाहिए और इनपर नई एवं विस्तृत स्वास्थ्य चेतावनियाँ अंकित होनी चाहिए। *तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग अधिनियम 2011 (Tobacco Plain Packaging Act 2011)* [the Act] और तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग विनियम 2011 (*Tobacco Plain Packaging Regulations 2011)* [the Regulations] तम्बाकू उत्पादों की प्लेन पैकेजिंग की ज़रूरतों को निर्धारित करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं परन्तु ये ज़रूरतें केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- यह ज़रूरत कि तम्बाकू उत्पादों की रिटेल पैकेजिंग पैनटोन 448सी नाम के रंग में और मैट्ट फिनिश में होनी चाहिए;
- तम्बाकू उत्पादों और रिटेल पैकेजिंग पर तम्बाकू उद्योग के लोगो, ब्रांड का चित्र, रंग और विज्ञापन-संबंधी लेख का होना निषेध होना चाहिए, ब्रांड और वेरीएंट (रूपांतर) नाम को छोड़कर जोकि स्टैन्डर्ड रंग, स्थिति, फ़ॉन्ट के प्रकार व आकार में होने चाहिए;
- तम्बाकू रिटेल पैकेजिंग के आकार पर प्रतिबंध लगे होने चाहिए; और
- सिगरेट रिटेल पैकेजिंग में प्रयोग की जाने वाली सिगरेट, पैकेजिंग के डिज़ाइन और सामग्री की दिखावट पर प्रतिबंध लगे होने चाहिए।

ये सवाल और जवाब सिगरेट और सिगरेट पैक्स के लिए प्लेन पैकेजिंग की ज़रूरतों से सम्बन्धित आम पूछे जाने वाले कुछ सवालों के बारे में मार्ग-निर्देशन प्रदान करते हैं। आपको संपूर्ण ज़रूरतों के लिए अधिनियम एवं विनियम का संदर्भ लेना चाहिए।

सिगरेटों की दिखावट

सवाल 1. क्या सिगरेट पेपर में लाइनें हो सकती हैं?

नहीं। विनियम इस बात का निषेध करता है कि सिगरेट की पेपर केसिंग और पर्मीयबिल्टी (पारगम्यता) बैंड (यदि हो तो), सफेद या कृत्रिम कॉर्क टिप के साथ सफेद रंग में होनी चाहिए (विनियम 3.1.1)। इसका अर्थ यह है कि सिगरेट पेपर पर लाइनों, गाढ़े छल्लों या किसी अन्य निशान को दिखाने की अनुमति नहीं है (अक्षरांकीय कोड के अलावा – सवाल 3 देखें)। पारिभाषिक शब्द 'कृत्रिम कॉर्क टिप' को अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित किया गया है और पारिभाषिक शब्द 'पर्मीयबिल्टी बैंड' को विनियम 3.1.1 में परिभाषित किया गया है।

सवाल 2. क्या निम्न पर्मीयबिल्टी (पारगम्यता) बैंड का कृत्रिम कॉर्क होना ज़रूरी है?

नहीं, बैंड सफेद रंग का भी हो सकता है। विनियम इस बात का निषेध करता है कि सिगरेट की पेपर केसिंग और पर्मीयबिल्टी (पारगम्यता) बैंड (यदि हो तो), सफेद या कृत्रिम कॉर्क टिप के साथ सफेद रंग में होनी चाहिए (विनियम 3.1.1)। इसका अर्थ यह है कि सिगरेट के फिल्टर टिप को कवर करने वाले पेपर का बैंड सफेद रंग का या फिर कॉर्क जैसा दिखने के लिए प्रिंटिड भूरे रंग का हो सकता है। किसी अन्य वेरीएंट (रूपांतर) की अनुमति नहीं है।

ध्यान दें: यह सूचना केवल एक संदर्शिका के तौर पर उपलब्ध कराई गई है, और इसपर कानूनी परामर्श के एक स्रोत के रूप में निर्भर नहीं करना चाहिए। यह प्लेन पैकेजिंग और स्वास्थ्य चेतावनियों की नई ज़रूरतों का संपूर्ण सारांश नहीं है। यदि आप तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग विधान के तहत अपने दायित्वों से अवगत नहीं हैं, या आपको ज़रूरतों को समझने में कठिनाई आ रही है, तो आपको स्वतंत्र कानूनी परामर्श स्वयं प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकाशन में सम्मिलित सारी जानकारी अगस्त 2015 तक सही है।

इस प्रकाशन में शामिल विषय-वस्तु कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित है। *कॉपीराइट अधिनियम 1968 (Copyright Act 1968)* के तहत अनुमति-प्राप्त किसी प्रयोग के अलावा, इसके किसी भाग को कॉमनवेल्थ की लिखित मंज़ूरी के बिना पुन:निर्मित नहीं किया जा सकता है।

सवाल 3. क्या सिगरेटों को अक्षरांकीय कोड से अंकित किया जा सकता है?

हाँ। विनियम कुछ निश्चित विशिष्टताओं के साथ सिगरेट पैक पर अक्षरांकीय कोड अंकित करने की अनुमति देते हैं। विनियम 3.1.2 इस बात का निषेध करता है कि कोड सिगरेट पर केवल एक बार सिगरेट के न जलने वाले भाग के समीप एक विशिष्ट स्थिति में दिखाया जाना चाहिए। यह काले रंग में ल्युसिडा सैंस फ़ॉन्ट में प्रिंट किया जाना चाहिए और यह आकार में 8 प्वाइंट्स से अधिक नहीं होना चाहिए और यह सामान्य भारित नियमित फ़ॉन्ट में होना चाहिए।

अक्षरांकीय कोड में तम्बाकू विज्ञापन और प्रचार शामिल नहीं होना चाहिए, या इसके माध्यम से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, और यह सिगरेट के ब्रांड या वेरीएंट (रूपांतर) नाम को दर्शाता हुआ या उससे सम्बन्धित नहीं होना चाहिए।

सिगरेट पैक्स की दिखावट

सवाल 4. क्या सिगरेट पैक का कोई न्यूनतम या अधिकतम आकार होता है?

हाँ। फ्लिप-टॉप लिड के बंद होने की स्थिति में सिगरेट पैक के आकार 85मिमी ऊंचाई, 55मिमी चौड़ाई और 20मिमी गहराई से कम नहीं होने चाहिए।

फ्लिप-टॉप लिड के बंद होने की स्थिति में सिगरेट पैक के आकार 125मिमी ऊंचाई, 82मिमी चौड़ाई और 42मिमी गहराई से अधिक नहीं होने चाहिए।

सवाल 5. क्या सिगरेट पैक का अंदरूनी फ्रेम/अंदर वाले भाग का लिप पैनटोन 448सी नाम के रंग का होना चाहिए?

हाँ। अधिनियम का अनुभाग 4 सिगरेट के 'अंदरूनी लिप', जिसे 'अंदरूनी फ्रेम' भी कहा जाता है, को इस प्रकार परिभाषित करता है - *पैक की बाहरी सतहों का वह भाग जो फ्लिप-टॉप लिड के बंद होने की स्थिति में छिपा होता है।'* विनियम 2 इस बात का निषेध करते हैं कि पैकेजिंग की सभी प्राथमिक व द्वितीयक बाहरी सतहें पैनटोन 448सी कहे जाने वाले रंग की होनी चाहिए (विनियम 2.2.1)।

'अंदरूनी लिप' पैक की बाहरी सतह की परिभाषा के अंतर्गत आता है और इसलिए यह पैनटोन 448सी रंग का होना चाहिए।

सवाल 6. क्या सिगरेट पैक में लाइनिंग हो सकती है?

हाँ। सिगरेट पैक में लाइनिंग शामिल हो सकती है जो सफेद पेपर के आधार के साथ चाँदी के रंग के फॉयल (पर्ण) की होनी चाहिए।

जहाँ लाइनिंग का प्रयोग किया जाता हो, वहाँ लाइनिंग को पूरी सतह के ऊपर गठित किया जाना चाहिए और पैकेजिंग के स्वचालित निर्माण-कार्य या तम्बाकू उत्पादों को पैकेजिंग में पैक करने के प्रयोजन के लिए छोटे बिंदुओं या वर्गों को इसपर अलंकृत किया जाना चाहिए। यदि लाइनिंग को अलंकृत किया जाता है, तो लाइनिंग में अलंकृत किए गए बिंदु या वर्ग एक दूसरे से बराबर की दूरी पर, समीपी अंतरालों पर और एक समान आकार के होने चाहिए (विनियम 2.1.3)।

लाइनिंग को अलंकृत करने से कोई पैटर्न या इमेज (विनियम 2.1.3 द्वारा अनुमति-प्राप्त स्थिति के अलावा), या अन्य चिन्ह नहीं बनना चाहिए, या इसमें तम्बाकू का विज्ञापन या प्रचार शामिल नहीं होना चाहिए।

सिगरेट पैक्स के ब्रांड और वेरीएंट (रूपांतर) नाम की दिखावट

सवाल 7. ब्रांड और वेरीएंट नाम सिगरेट पैक पर कितनी बार दिखाया जा सकता है?

कोई ब्रांड, व्यापार या कम्पनी का नाम, या कोई वेरीएंट नाम किसी सिगरेट पैक पर कुल तीन (3) बार तक दिखाया जा सकता है, पैक के बाहर की अगली, ऊपरी और निचली सतहों पर एक-एक बार। यह इन सतहों पर एक से अधिक बार नहीं दिखाया जाना चाहिए।

**सवाल 8.	क्या यह ज़रूरी है कि ब्रांड और वेरीएंट नाम अंग्रेज़ी भाषा में हों?**

नहीं। विनियम इस बात का निषेध करता है कि कोई ब्रांड, व्यापार, कम्पनी का नाम, या कोई अन्य वेरीएंट का नाम ल्युसिडा सैंस कहे जाने वाले टाइपफेस में प्रिंट किया जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में लिखा जाने वाला कोई ब्रांड, व्यापार या कम्पनी का नाम, या कोई वेरीएंट नाम ल्युसिडा सैंस टाइपफेस में प्रिंट किए जाने के योग्य होना चाहिए (विनियम 2.4.1)।

**सवाल 9.	क्या ब्रांड और वेरीएंट नाम एक से अधिक भाषा में दिखाए जा सकते हैं?**

हाँ। यह संभव है कि ब्रांड और वेरीएंट नाम अंग्रेज़ी के साथ-साथ किसी अन्य भाषा में भी दिखाए जाएँ, परन्तु ये दोनों सिगरेट पैक की समान सतह पर नहीं दिखाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि ब्रांड और वेरीएंट नाम एक बार अंग्रेज़ी में और दो बार किसी अन्य भाषा में दिखाए जाएँ, परन्तु हर सतह पर केवल एक बार (सवाल 7 भी देखें)।

ब्रांड और वेरीएंट नाम तीनों उल्लिखित सतहों में से प्रत्येक सतह पर अंग्रेज़ी और किसी दूसरी भाषा दोनों में नहीं दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ब्रांड और वेरीएंट नाम पैकेजिंग पर छ: बार दिखाए जाएँगे।

**सवाल 10.	क्या ब्रांड और वेरीएंट नाम बोल्ड और/या सभी बड़े अक्षरों में दिखाए जा सकते हैं?**

नहीं। विनियम इस बात का निषेध करते हैं कि ब्रांड और वेरीएंट नाम सामान्य भारित नियमित फॉन्ट में प्रिंट किए जाने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इन्हें बोल्ड में प्रिंट नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, विनियम इस बात का निषेध करते हैं कि प्रत्येक शब्द का केवल पहला अक्षर ही बड़ा दिखाया जा सकता है, और किसी अन्य अक्षर को बड़े अक्षर में नहीं दिखाया जा सकता है (विनियम 2.4.1)। इसका अर्थ यह है कि नामों के सभी अक्षर बड़े लिखे जाने की अनुमति नहीं है।

सिगरेट पैक्स पर अन्य चिन्हों की दिखावट

**सवाल 11.	क्या सिगरेट पैक पर अक्षरांकीय कोड को अलंकृत किया जा सकता है?**

नहीं। अधिनियम तम्बाकू उत्पाद पैकेजिंग पर किसी प्रकार के अलंकरण करने के काम का निषेध करता है, विनियम (पैराग्राफ 18(1)(क)) द्वारा अनुमति-प्राप्त तरीकों के अलावा। विनियम अक्षरांकीय कोड के रूप में या नग्न आंखों से दिखाई न देने वाले एक अप्रकट चिन्ह के रूप में पैकेजिंग पर एक या एक से अधिक मूल चिन्ह दिखाए जाने की अनुमति देता है (विनियम 2.3.1)। विनियम यह आवश्यक बनाता है कि यदि मूल चिन्ह एक अक्षरांकीय कोड हो, तो यह ***प्रिंटिड*** होना चाहिए (विनियम 2.3.2)।

इसके अलावा, विनियम यह भी आवश्यक बनाता है कि अक्षरांकीय कोड को ल्युसिडा सैंस कहे जाने वाले टाइपफेस में और सामान्य भारित नियमित फॉन्ट में प्रिंट किया जाना चाहिए (विनियम 2.3.2)। इसका अर्थ यह है कि इसे बोल्ड फॉन्ट या 'डॉट मेट्रिक्स' प्रकार में प्रिंट नहीं किया जा सकता है।

**सवाल 12.	सिगरेट पैक पर किसका पता शामिल किया जा सकता है?**

विनियम यह अनुमति देता है कि (कुछ निश्चित परिस्थितियों में) तम्बाकू उत्पाद की पैकेजिंग में उत्पाद पैक करने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति का नाम व पता शामिल किया जाए जिसकी ओर से इसे पैक किया गया था (विनियम 2.3.8)। यह निर्माता या आयातकर्ता हो सकता है। पैक पर केवल एक नाम और पता दिखाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि निर्माता व आयातकर्ता का नाम व पता समान नहीं है तो दोनों में से केवल एक का ही नाम व पता शामिल किए जाने की अनुमति होती है।

इसके अतिरिक्त, ***पता ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा स्थान होना चाहिए*** जहाँ दस्तावेज़ निजी तौर पर उस व्यक्ति को दिया जा सके। यह कोई पोस्ट ऑफिस बॉक्स पता नहीं हो सकता है।

सवाल 13. क्या सिगरेट पैक्स और कार्टन्स पर टैक्स स्टैम्प और ड्यूटी पेड चिन्ह दिखाए जाने की अनुमति होती है?

नहीं। अधिनियम किसी ब्रांड, व्यापार या कम्पनी के नाम, किसी वेरीएंट के नाम, प्रासंगिक कानूनी ज़रूरतों (जैसेकि स्वास्थ्य चेतावनियाँ, अग्नि जोखिम वक्तव्य, ट्रेड विवरण, और मापन चिन्ह), और विनियम द्वारा अनुमति प्राप्त किसी अन्य चिन्ह के अलावा सभी ट्रेड चिन्हों और चिन्हों को दिखाया जाने का निषेध करता है (अनुभाग 20)।
विनियम उन चिन्हों का निषेध करता है जिन्हें सिगरेट पैक्स पर दिखाए जाने की अनुमति होती है (विनियम 2.3.1)। विनियम टैक्स स्टैम्प और ड्यूटी पेड चिन्हों को दिखाए जाने की अनुमति नहीं देता है।

और अधिक जानकारी

सवाल 14. मैं सिगरेट और सिगरेट पैकेजिंग के लिए प्लेन पैकेजिंग ज़रूरतों से सम्बन्धित और अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

पैकेजिंग ज़रूरतों से सम्बन्धित और अधिक जानकारी के लिए www.comlaw.gov.au पर उपलब्ध *Tobacco Plain Packaging Act 2011* के अनुभाग 18 से 26 और *Tobacco Plain Packaging Regulations 2011* के भाग 2 का संदर्भ करें। आप तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग से सम्बन्धित और अधिक जानकारी www.health.gov.au/tobaccopp पर भी प्राप्त कर सकते/सकती हैं। इस वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री को कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है।

सवाल 15. मैं सिगरेट और सिगरेट पैकेजिंग के लिए ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियों से सम्बन्धित और अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

स्वास्थ्य चेतावनियों से सम्बन्धित और अधिक जानकारी के लिए www.comlaw.gov.au पर उपलब्ध *प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ता (तम्बाकू) सूचना मानक 2011 (Competition and Consumer (Tobacco) Information Standard 2011)* का संदर्भ करें। आप स्वास्थ्य चेतावनियों से सम्बन्धित और अधिक जानकारी www.productsafety.gov.au से भी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

सवाल 16. अंग्रेज़ी मेरी प्राथमिक भाषा नहीं है – क्या मुझे इस जानकारी के अनुवाद मिल सकते हैं?

हाँ। इन सवालों एवं जवाबों के अनुवाद और तम्बाकू उत्पादों की प्लेन पैकेजिंग से सम्बन्धित अन्य संसाधन www.health.gov.au/tobaccopp पर उपलब्ध हैं।

तम्बाकू आपूर्तिकारों के लिए सूचना

तम्बाकू उत्पादों के आपूर्तिकार के तौर पर, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रासंगिक विधान के अंतर्गत अपने लिए आवश्यक दायित्वों की समझ हासिल करें और इस समझ को बनाकर रखें। और अधिक जानकारी निम्नलिखित पर उपलब्ध है:

- वेबसाइट: www.health.gov.au/tobaccopp और www.productsafety.gov.au
- www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00190 पर उपलब्ध *Tobacco Plain Packaging Act 2011*
- www.comlaw.gov.au/Details/F2013C00801 पर उपलब्ध *Tobacco Plain Packaging Regulations 2011*
- www.comlaw.gov.au/Details/F2013C00598 पर उपलब्ध *Competition and Consumer (Tobacco) Information Standard 2011*
- खास प्लेन पैकेजिंग (ग्राफिक एवं स्वास्थ्य चेतावनियों के अलावा) से सम्बन्धित पूछताछ के लिए – तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग शिकायत लाइन - 1800 062 971 या ppcomplaints@health.gov.au पर ई-मेल करके
- खास ग्राफिक एवं स्वास्थ्य चेतावनियों से सम्बन्धित पूछताछ के लिए – ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ता (Australian Competition and Consumer - ACCC) सूचना केन्द्र - 1300 302 502

ध्यान दें: यह सूचना केवल एक संदर्शिका के तौर पर उपलब्ध कराई गई है, और इसपर कानूनी परामर्श के एक स्रोत के रूप में निर्भर नहीं करना चाहिए। यह प्लेन पैकेजिंग और स्वास्थ्य चेतावनियों की नई ज़रूरतों का संपूर्ण सारांश नहीं है। यदि आप तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग विधान के तहत अपने दायित्वों से अवगत नहीं हैं, या आपको ज़रूरतों को समझने में कठिनाई आ रही है, तो आपको स्वतंत्र कानूनी परामर्श स्वयं प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकाशन में सम्मिलित सारी जानकारी अगस्त 2015 तक सही है।

इस प्रकाशन में शामिल विषय-वस्तु कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित है। *कॉपीराइट अधिनियम 1968 (Copyright Act 1968)* के तहत अनुमति-प्राप्त किसी प्रयोग के अलावा, इसके किसी भाग को कॉमनवेल्थ की लिखित मंज़ूरी के बिना पुन:निर्मित नहीं किया जा सकता है।